कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/पी0ग0/ /15 दिनॉक:अक्टूबर 14, 2015

–:: आदेश ::–

मेसर्स पी0पी0जी0 एशियन पेन्टस प्रा0लि0, गाजियाबाद के वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनॉक 14.10.15 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा–57 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 06.10.15 के अनुपालन में प्रार्थी के प्रश्नगत वाद के निस्तारण हेतु दिनॉक 28.10.15 से 31.10.15 तक श्री आलोक सक्सेना, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, गाजियाबाद व श्री जगदीश कुमार चौधरी, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, गाजियाबाद की विशेष खण्ड पीठ गठित की जाती है।

विशेष खण्ड पीठ का गठन इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रार्थी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत मिसीलिनियस रिट टैक्स संख्या–801/15 पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 06.10.2015 के अनुपालन में वाद का निस्तारण विधि अनुसार किया जाय।

ह0दि0 14.10.15
(डी0एस0 त्रिपाठी)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/पी0ग0/2001/2015, दिनॉक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व पीठ–2, गाजियाबाद।
2– राज्य प्रतिनिधि सम्बद्ध खण्ड पीठ।
3– अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0, वाणिज्य कर बार एसोसिएशन।
4– वरिष्ठ सहायक (विवरण/यात्रा भत्ता) मुख्यालय।
5– वेब अधिकारी, मुख्यालय।
6– आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
14/10/15
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14-10-15